(2)

पत्रांक / आ0स0 / सामान्य / 2024–25 212

अति आवश्यक / महत्वपूर्ण
/ राज्य कर
कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0
(आन्तरिक सम्परीक्षा अनुभाग)
लखनऊः दिनांक 12 जुलाई, 2024

1. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी,
राज्य कर, उ0प्र0।
2. समस्त जोनल अपर आयुक्त ग्रेड–1
राज्य कर।

विषयः– विभिन्न श्रेणी के कार्मिकों के वेतन निर्धारण एवं अन्य देयों के संबंध में।

यह विदित है कि समस्त कार्मिकों के सेवानैवृत्तिक देयकों को समयबद्व एवं प्राथमिकता पर भुगतान किये जाने हेतु शासन द्वारा समय–समय पर निर्देश निर्गत किये गये है, जिनका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाना हैं। प्रायः यह देखने में आया है कि सेवानिवृत्त हो रहे कार्मिक की सेवा–पुस्तिका का परीक्षण किये जाने पर वेतन निर्धारण आदेश में कतिपय त्रुटियां पायी जाती है और उन त्रुटियों / आपत्तियों के कारण अंतिम वेतन निर्धारित किये जाने में अनावश्यक विलम्ब होता है। फलस्वरूप सेवानैवृत्तिक देयकों (यथा–अवकाश नकदीकरण) का भुगतान न होने की दशा में कार्मिक को वित्तीय एवं मानसिक कष्ट उठाना पड़ता है एवं कार्मिक क्षुब्ध होकर न्यायालय की शरण में जाते है परिणामस्वरूप मा0 न्यायालय के समक्ष विभाग को असहज स्थिति का सामना करना पड़ता है, जो अत्यन्त आपत्तिजनक है।

उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 पेंशन मामलों का (प्रस्तुतीकरण निस्तारण एवं विलम्ब का परिवर्जन) नियमावली, 1995 के अनुसार कार्यालयाध्यक्ष का यह उत्तरदायित्व है कि वह कार्मिक की सेवानिवृत्ति के 08 मास पूर्व सेवा पुस्तिका का पुर्नविलोकन कराये और यदि कोई कमी हो, तो उसका शीघ्रता से निराकरण कराना सुनिश्चित करें एवं सेवानिवृत्त हो रहे कार्मिक के देयों के आगणन में विशेष सावधानी अपनायें। साथ ही वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–60 / 2016–वे0आ0–2–1375 / दस–2016 दिनांक 21 नवम्बर, 2016 में विहित व्यवस्थानुसार वेतन निर्धारण आदेश एवं देयों के भुगतान के पूर्व संबंधित कार्मिक से इस आशय की सहमति / अंडरटेंकिग निर्धारित संलग्न प्रारूप पर आवश्यक रूप से प्राप्त कर ली जायें, कि यदि त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण / आगणन के फलस्वरूप देयता से अधिक भुगतान हो जाता है तो वह उसका समायोजन / वसूली करायेगें, ताकि अनावश्यक वाद–विवाद न उत्पन्न हो एवं विभाग को भी न्यायालय में अनावश्यक वाद–विवाद का सामना न करना पड़े।

अतः कार्मिकों के वेतन निर्धारण आदेश पारित करते समय उपरोक्त शासनादेश दिनांक 21 नवम्बर, 2016 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायें एवं कार्मिकों के वेतन निर्धारण एवं देयों के आगणन की जांच आवश्यक रूप से उसी वित्तीय वर्ष में ही पूर्ण करायी जाये और त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण / देयों के आगणन की जांच में कदाश्यता सिद्व होने पर संबंधित का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाये तथा त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण / आगणन का लाभ प्राप्त करने वाले कार्मिक से वसूली / समायोजन न हो पाने की दशा में अधिक भुगतान के उत्तरदायी कार्मिक के विरूद्व नियमानुसार विभागीय कार्यवाही संस्तुत की जायेगी।

संलग्नक–शासनादेश दिनांक 21.11.2016 एवं सहमति पत्र।

(महा मिलिन्द लाल)
अपर आयुक्त(लेखा), राज्य कर,
उ0प्र0, लखनऊ।

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी, आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ।
2. अपर आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ।
3. अपर आयुक्त(प्रशासन), राज्य कर, उ0प्र0 लखनऊ।
4. संयुक्त आयुक्त, अधिष्ठान (राजपत्रित / अराजपत्रित) राज्य कर, लखनऊ।
5. संयुक्त आयुक्त(आई0टी0) को इस आशय से प्रेषित कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करायें।

श्री अजय

(महा मिलिन्द लाल)
अपर आयुक्त(लेखा), राज्य कर,
उ0प्र0, लखनऊ।

D.C (IT)
12/07/024
1336

शासनादेश संख्या–60 / 2016–वे0आ0–2–1375 / दस–2016, दिनांक 21 नवम्बर, 2016 का संलग्नक।

सहमति–पत्र

मै यह सहमति प्रदान करता हूँ कि यदि कार्यालय आदेश संख्या–.....

.....दिनांक.....

.मै समयमान वेतनमान / ए0सी0पी0 अथवा अन्य किसी मद.....(उल्लेख किया जाय) मै मेरे वेतन निर्धारण में किसी त्रुटि के कारण अथवा बाद में किसी असंगति के कारण अधिक भुगतान हो जाने की स्थिति पायी जाती है तो ऐसे अधिक किये गये भुगतान की धनराशि, सरकार द्वारा मुझे भविष्य में होने वाले भुगतानों में से समायोजन द्वारा अथवा अन्य किसी प्रकार से, मेरे द्वारा वापस कर दी जायेगी।

दिनांकः..... हस्ताक्षर.....

स्थानः..... नाम.....

पदनाम.....

संख्या-60/2016-वे0आ0-2-1375/दस-2016

प्रेषक,

अनूप चन्द्र पाण्डेय,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक : 21 नवम्बर, 2016**

विषयः- विभिन्न श्रेणी के कार्मिकों के वेतन निर्धारण एवं अन्य देयों के भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्च न्यायालय के सेवा-निवृत, उप निबन्धक के त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के फलस्वरूप देयता से अधिक हुए भुगतान की वसूली/समायोजन हेतु निर्गत किये गये आदेश को रिट याचिका संख्या-694(एस0बी0)/2010 माता प्रसाद बनाम राज्य व अन्य के माध्यम से चुनौती दी गयी जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा मा0 उच्चतम् न्यायालय के State of Punjab & others Vs Rafiq Masih (White washer) & others (2015) 4 SCC 334 के निर्णय के आधार पर दिनांक 15 सितम्बर 2015 को आदेश पारित किये गये जिसका प्रभावी अंश निम्नवत् है :--

In view of the aforesaid facts, learned counsel for the petitioner has submitted that such a case has been dealt with by the Hon'ble Supreme Court in the case of State of Punjab and others v. Rafiq Masih (White Washer) and others; (2015) 4 SCC 334. The Hon'ble Supreme Court had discussed each and every aspect on the point of recovery of the amount paid in excess of their entitlement to the employees and has laid down the following proposition of law, which is reproduced below:

"18. It is not possible to postulate all situations of hardship which would govern employees on the issue of recovery, where payments have mistakenly been made by the employer, in excess of their entitlement. Be that as it may, based on the decisions referred to herein above, we may, as a ready reference, summarise the following few situations, wherein recoveries by the employers, would be impermissible in law:

(i) Recovery from employees belonging to Class-III and Class-IV service (or Group 'C' and Group 'D' service).
(ii) Recovery from retired employees, or employees who are due to retire within one year, of the order of recovery.
(iii) Recovery from employees, when the excess payment has been made for a period in excess of five years, before the order of recovery is issued.

.....2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(iv) Recovery in cases where an employee has wrongfully been required to discharge duties of a higher post, and has been paid accordingly, even though he should have rightfully been required to work against an inferior post.

(v) In any other case, where the Court arrives at the conclusion, that recovery if made from the employee, would be iniquitous or harsh or arbitrary to such an extent, as would far outweigh the equitable balance of the employer's right to recover."

Learned counsel for the petitioner urged that the petitioner's case is fully covered under clause-ii as enumerated above. He is retired employee, therefore, the proposed recovery should not be made from him. The petitioner's retirement from service is not disputed. In view of the law laid down by the Hon'ble Supreme Court, we are of the view that the recovery notice issued to the petitioner after about four and a half years from his retirement, is unsustainable. Therefore, we hereby quash the Office Memo dated 20.11.2009.

At this stage, we are informed that the proposed amount has already been recovered from the amount of leave encashment, therefore, it requires direction of this Court to the respondents to refund the same to the petitioner. Since we have held that the amount as proposed is not recoverable, we hereby direct the respondents to refund the amount, already recovered, to the petitioner within one month from the date of communication of this order.

The writ petition is, accordingly, allowed.

2- इसी प्रकार पूर्वी गंगा नहर निर्माण खण्ड-1, नजीबाबाद के सहायक अभियन्ता के त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के फलस्वरूप देयता से अधिक हुए भुगतान के समायोजन/वसूली हेतु पारित आदेश को चुनौती दिये जाने हेतु मा0 अधिकरण में योजित निर्देश याचिका संख्या-1197/2011 दयाचन्द गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य में दिनांक 10 दिसम्बर, 2015 को पारित आदेश का प्रभावी अंश निम्नवत् है :--

"प्रस्तुत सन्दर्भ याचिका स्वीकार की जाती है। प्रश्नगत आदेश दिनांक 27-12-2006, 29-3-2011, 29-4-2011 एवं 14-6-2011 के आदेश जहॉ तक वेतन निर्धारण में त्रुटि के आधार पर की जाने वाली वसूली से सम्बन्धित हैं को अपास्त किया जाता है। विपक्षीगण को आदेशित किया जाता है कि याची के वेतन निर्धारण में किसी त्रुटिवश भुगतान के वापसी आदेश के क्रम में वसूली गयी हो तो उसका भुगतान यथाशीध्र करना सुनिश्चित करें और यदि यांची को ऐसी देय कोई धनराशि का भुगतान इस निर्णय व आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के 3 माह के बाद किया जाता है तो उस धनराशि पर याची 9 प्रतिशत साधारण बयाज भी पाने का अधिकारी होगा। पक्षकार अपना-अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे।"

....3/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के फलस्वरूप राजकोष से अधिक भुगतान न हो और अधिक भुगतान होने की स्थिति में उसका त्वरित संज्ञान लेकर समायोजन/वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने के विषय पर निम्नानुसार विधिक परामर्श प्राप्त हुआ :--

However, it would be useful that general directions are issued to all Finance & Account Service Officers posted in various departments to be extremely careful in pay fixation of employees and to routinely and without fail put a rider in each of the pay fixation orders issued by them that excess payment, if any, shall be recovered by adjustment from salary and other dues of the employee in future.

Also, effort should be made for auditing of accounts each year more carefully to detect excess payment and wrong fixation of pay at the earliest possible opportunity, so that recovery orders may be issued immediately thereafter and within five years' period fixed by the Hon'ble Supreme Court in the case of Rafiq Masih or atleast well before the retirement of the employee concerned.

4- उपर्युक्तानुसार प्राप्त विधिक परामर्श के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्मिकों के वेतन निर्धारण/उनके देयों के आगणन में विशेष सावधानी अपनायी जाय तथा उनके भुगतान के पूर्व सम्बन्धित कार्मिक से इस आशय की सहमति/अण्डरटेकिंग संलग्न प्रारूप पर आवश्यक रूप से प्राप्त कर ली जाय कि यदि त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण/आगणन के फलस्वरूप देयता से अधिक भुगतान हो जाता है तो वह उसका समायोजन/वसूली करायेगें।

5- उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि कार्मिकों के वेतन निर्धारण एवं अन्य देयों के आगणन की जॉच उसी वित्तीय वर्ष में ही पूर्ण करायी जाय और त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण/देयों के आगणन की जॉच में कदाशयता सिद्ध होने पर सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाय। त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण/आंगणन का लाभ प्राप्त करने वाले कार्मिक से वसूली/समायोजन न हो पाने की दशा में अधिक भुगतान के उत्तरदायी कार्मिक से उक्त धनराशि की वसूली/समायोजन किया जाये। उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

भवदीय,

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

अनूप चन्द्र पाण्डेय
प्रमुख सचिव।

संख्या-60/2016-वे0आ0-2-1375(1)/दस-2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

(1) प्रमुख सचिव श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश।

(2) प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।

....4/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
(4) समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
(5) निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश।
(6) समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(7) उ0प्र0 सचिवालय के समस्त अनुभाग/इरला चेक अनुभाग।
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

मनोज कुमार जोशी
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।